न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02 / 2024 दायर तारीख– 22.05.2024

उनवान

बनारसी देवी पुत्री गैन्दा जाति मीणा, निवासी ग्राम भैंसलाना तन प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राज प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
2. मूलचन्द
3. महेन्द्र
4. लक्ष्मण
5. अजय पुत्रान गैन्दा
6. कोयली
7. लाली पुत्रीयान गैन्दा निवासीयान ग्राम भैंसलाना तन प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राज०
8 दिवेश पुत्र नारसिंह ग्राम भैंसलाना तन प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राज० अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 16.05.2025

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री धर्मवीर सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र निम्नभांति प्रस्तुत है कि हाल खसरा नम्बर 1586 / 0.84, 1587 / 0.01, 1588 / 0.29, 1589 / 0.30, 1590 / 0.29, 1682 / 0.76 वाके मौजा भैंसलाना तहसील पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान में स्थित है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय सहवन से लिपीकीय भूल व त्रुटि के कारण बनारसी पुत्री गैन्दा का नाम गन्नो पुत्री गैन्दा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया जो सहवन से गलत दर्ज किया गया है, जिसको दुररूत किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व रिकार्ड में उक्त लिपीकीय त्रुटि को सही कराने हेतु तहसीलदार पावटा के समक्ष आवेदन किया लेकिन उनके द्वारा यह कहने पर कि राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है इसलिये न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कीजिए तब हम आपका राजस्व रिकार्ड में अंकन सही करेगे तब बिना किसी देरी के यह प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में सही अंकन करवाने के लिये अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 गैन्दा के वारिसान होने व आराजी में रिकार्डेड खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार में नियत न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल खसरा नम्बर 1586 / 0.84, 1587 / 0.01, 1588 / 0.29, 1589 / 0.30, 1590 / 0.29, 1682 / 0.76 वाके मौजा भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में गन्नो पुत्री गैन्दा की जगह उसका सही नाम बनारसी पुत्री गैन्दा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 02 लगायत 08 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जेनेन्द्र कुमार भारद्वाज उपस्थित आकर वकालतनामा मय जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार से जवाब तल्ब किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त जवाब निम्नानुसार है है कि जिम्मन नं. 1 राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है। जिम्मन नं. 2 ग्राम भैंसलाना के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गन्नौ देवी पुत्री गैंदा कंवर जाति मीणा के नाम से दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में बनारसी नाम दर्ज है। शेष जिम्मन 03 लगायत 05 कानूनी है।

वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र, जवाब अप्रार्थीगण व जवाब पैराकार में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 1586/0.84, 1587/0.01, 1588/0.29, 1589/0.30, 1590/0.29, 1682/0.76 वाके मौजा भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में गन्नो पुत्री गैन्दा के स्थान पर सही नाम बनारसी पुत्री गैन्दा दर्ज करने के आदेश प्रदान करने कृपा करे। जिस पर अप्रार्थी वकील ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतू सहमति जाहिर की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब तथा तहसीलदार पावटा से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। आराजी खसरा नंबर 1586/0.84, 1587/0.01, 1588/0.29, 1589/0.30, 1590/0.29, 1682/0.76 वाके मौजा भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में गन्नो पुत्री गैन्दा के स्थान पर सही नाम बनारसी पुत्री गैन्दा का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत समझते है।

निर्णय

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1586/0.84, 1587/0.01, 1588/0.29, 1589/0.30, 1590/0.29, 1682/0.76 वाके मौजा भैंसलाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में **गन्नो पुत्री गैन्दा** के स्थान पर सही नाम **बनारसी पुत्री गैन्दा** दर्ज कर दुरूस्त करने के तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पावटा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर सरै ईजलास सुनायाा गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)